कार्यालय संयुक्त संचालक,नगरीय प्रशासन एवं विकास जबलपुर संभाग,जबलपुर

ddjabalpur@mpurban.gov.in / eejabalpur@mpurban.gov.in

क्रमांक / शा0प्र0 / तक.स्वी. / 2026 / 748 जबलपुर, दिनांक 27 / 02 / 2026

प्रति,

मुख्य नगर पालिका अधिकारी
नगर पालिका परिषद पांढुर्णा
जिला – पांढुर्णा

विषय :– सड़क निर्माण कार्य की तकनीकी स्वीकृति बाबत्।
संदर्भ :– आपका पत्र क्र. 2222 दिनांक 16 / 02 / 2026

उपरोक्त विषयांकित एवं संदर्भित पत्र द्वारा प्रेषित निर्माण कार्यो के प्राक्कलनों की तकनीकी स्वीकृति निम्न प्रतिबंधो के साथ प्रदान की जाती है :–

क्र.	कार्य का नाम	प्राक्कलन राशि (जी.एस.टी. सहित)	अनुशंसा राशि (जी.एस.टी. सहित)
1	नगरीय क्षेत्र के गुरूनानक वार्ड में सी.सी. सडक पर बिटुमिन कोटिंग कार्य	रू. 10,91,639 /–	रू. 10,91,639 /–

नोट :– उक्त तकनीकी स्वीकृति निकाय की मांग एवं कार्य स्वीकृति की तत्काल आवश्यकता के दृष्टिगत आफलाईन इस शर्त के साथ प्रदान की जाती है कि उक्त तकनीकी स्वीकृति ऑनलाईन पोर्टल पर 07 दिवस के भीतर अपलोड कर ऑनलाईन तकनीकी स्वीकृति प्राप्त की जावे। अन्यथा की स्थिति में मुख्य नगर पालिका अधिकारी एवं संबंधित यंत्री स्वतः उत्तरदायी होगे।

1. तकनीकी स्वीकृति नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग म.प्र. शासन के प्रचलित आई.एस.एस.आर. प्रभावशील दिनांक 08 / 11 / 2025 के आधार पर दी गई है।
2. मध्य प्रदेश नगर पालिका लेखा एवं वित्त नियम 2018 के नियम 237 के तहत सक्षम प्रशासकीय स्वीकृति एवं नियम 239 के तहत सक्षम वित्तीय स्वीकृति लिया जाना सुनिश्चित करें। कार्य के प्राक्कलन के आयटम में परिवर्तन बिना सक्षम अधिकारी के किया जाने पर परिवर्तनकर्ता निकाय तकनीकी अधिकारी / प्रषासकीय अधिकारी पर दायित्व निर्धारण होगा। निर्माण कार्य के दौरान किसी पूरक कार्य / परिवर्तन की आवष्यकता हो, तो लिखित पूर्व सूचना म0प्र0न0पा0 1961 में वर्णित नियमों के प्रावधिक प्रारुप में इस कार्यालय को देना होगी। अन्यथा पुनरीक्षित प्राक्कलन की तकनीकी स्वीकृति जारी की जाना संभव नही होगा। यह तकनीकी स्वीकृति इस शर्त के साथ प्रदान की जाती है कि विस्तृत प्राक्कलन एवं वर्किंग ड्रांईग का अनुमोदन इस कार्यालय से कार्य प्रारंभ करने के पूर्व कराए जाए।
3. निविदा विज्ञप्ति के प्रकाशन / प्रचार–प्रसार हेतु नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग के नियमों का पालन कर ई–टेन्डरिंग के माध्यम से निविदा आमंत्रित की कार्यवाही सुनिष्चित की जाए।
4. म.प्र. शासन, नगरीय विकास एवं पर्यावरण विभाग मंत्रालय भोपाल के आदेश क्र. F-6-18/10/18-3/7814 भोपाल दिनांक 17 जून 2016 के अनुसार राशि रू. 1.00 लाख अथवा उससे अधिक के कराये जाने वाले कार्यो के लिये ई–टेंडरिंग व्यवस्था के माध्यम से आहुत की जाना सुनिश्चित करें।
5. कार्य के प्राक्कलन के आयटम में परिवर्तन बिना सक्षम अधिकारी के किये जाने पर परिवर्तनकर्ता निकाय तकनीकी अधिकारी / प्रशासकीय अधिकारी पर दायित्व निर्धारण होगा। निर्माण कार्य के दौरान किसी पूरक कार्य / परिवर्तन की आवश्यकता हो, तो लिखित पूर्व सूचना म0प्र0न0पा0लो0नि0 1961 नियम के प्रावधिक प्रारुप में इस कार्यालय को देना होगी। अन्यथा पुनरीक्षित प्राक्कलन की तकनीकी स्वीकृति जारी की जाना संभव नही होगा।
6. तकनीकी स्वीकृति यह मानकर अनुमोदित की जा रही है कि, स्थल निकाय स्वामित्व का होकर निर्विवादित है, एवं कार्य पूर्व में किसी अन्य योजना / मद से संपादित नही किया गया है। तथ्यों को छुपाकर, निजी / अवैध

TS/P/R

Scanned with CamScanner

कॉलोनी में निर्माण करने पर तकनीकी स्वीकृति स्वमेव निरस्त हो जावेगी एवं मुख्य नगरपालिका अधिकारी /परिषद इस हेतु पूर्णत: जबाबदार रहेगें।

7. निर्माण कार्य मे मध्यप्रदेष वर्क्स डिपार्टमेन्ट मेनुअल का पालन किया जाए।

8. निकाय द्वारा निर्माण के पूर्व स्ट्रक्चरल डिजाईन एवं क्रस्ट डिजाईन (सड़क निर्माण हेतु) का परीक्षण मान्यता प्राप्त इन्जीनियरिंग कालेज से कराकर इस कार्यालय से अनुमोदन आवष्यक रूप से कराया जाए।

9. सड़क निर्माण कार्य मे Ministry of Surface Transport के निर्देषों एवं मानकों का पालन किया जाए।

10. नि:षक्त जनो के लिए बाधा रहित वातावरण उपलब्ध कराया जाए।

11. कार्य स्थल पर संबधित निर्माण कार्य का बोर्ड अनिवार्य रुप से लगाया जावे, साथ ही कार्य प्रारंभ के पूर्व एवं कार्य समाप्ति पर वीडियोग्राफी/फोटोग्राफ तैयार कराये जावें।

12. आई.एस.एस.आर. एवं विभागीय स्पेषिफिकेषन, एम.ओ.एस.टी. एवं पी.डब्ल्यू.डी. वर्क्स मेनुअल, आई0एस0 एवं आई0आर0सी0 कोड, सी.पी.एच.ई.ई.ओ. (CPHEEO) मेनुअल के प्रावधानों का पालन करना होगा।

13. अंतिम देयक भुगतान के पूर्व निकाय हित में इस कार्यालय से देयक का परीक्षण कराया जावें। म.प्र.न.पा. (लेखा एवं वित्त) नियम, 2018 के नियम 111 के अनुसार चालू भुगतान प्रायः किये गये कार्य के मूल्य का 9/10वें भाग तक किया जायेगा।

14. नगर तथा ग्रामीण नियोजन विभाग के नियमानुसार आव'यक स्थल अनुमोदन/अनापत्ति प्राप्त की जावे। नजूल एवं अन्य विभागों से आवष्यक एन.ओ.सी./सहमति भी प्राप्त की जावे।

15. निर्माण कार्य की लागत राशि रु. 2.00 करोड़ से अधिक होने पर स्थल प्रयोगशाला की स्थापना, निर्माण एजेन्सी से कराई जाकर टेस्टेड मटेरियल ही उपयोग में लाया जावे।

16. निविदा सूचना में प्रावधान किया जाये कि निविदाकार को ई.पी.एफ. एवं लेवर विभाग का पंजीयन प्रमाण पत्र देना होगा। Cost Escalation Clause लागू नहीं होगा।

17. प्रस्तावित सड़क निर्माण में Common Utility Duct का प्रावधान अनिवार्यतः करना होगा।

18. पैदल यात्रियो की सुरक्षा एवं सुरक्षित यातायात हेतु रोड सेफ्टी फीचर्स जैसे रोड साइनेज, टर्निंग प्वॉइन्ट आदि लगाये जावे।

19. डब्ल्यू.बी.एम. सड़क निर्माण कार्य कराने के पूर्व निर्माणाधीन सड़क के लेव्हल एवं निर्मित सड़क के लेव्हल लिये जाकर डब्ल्यू.एम.एम. लेव्हल शीट संधारित करना अनिवार्य होगा।

20. बिटुमन 60/70 का उपयोग करना होगा, उपयोग में लाये गये बिटुमन के बिल संलग्न करना होगे एवं बिटुमन के निर्धारित टेस्ट गुणवत्ता हेतु कराने होंगे।

21. हॉट मिक्स प्लान्ट के माध्यम से निर्धारित मापदण्डों के अनुरूप कार्य कराना होगा।

22. रोड निर्माण में एम–20 से अधिक क्षमता के कांक्रीट की मिक्स डिजाईन इंजीनियरिंग/पॉलिटेकनिक कालेज अथवा मान्यता प्राप्त टेस्टिंग लेवोरेटरी/पी.डब्ल्यू.डी. से करानी होगी।

23. निविदा दर स्वीकृति उपरांत ठेकेदार को जिले के श्रमपदाधिकारी के पास श्रम आयुक्त के संविदा श्रमिक (विनियमन एवं समाप्ति) अधिनियम 1970 के अंतर्गत आवेदन प्रारूप–05 तत्काल जमा कराना अनिवार्य होगा। तत्प'चात् ठेकेदार से उक्त पंजीयन निकाय में जमा कराकर अनुबंध संपादित किया जावेगा। पंजीयन निर्धारित अवधि में जमा न होने पर ठेका निरस्त की कार्यवाही की जावेगी।

24. उपरोक्त शर्तो की पूर्ति की जिम्मेदारी मुख्य नगर पालिका अधिकारी, नगर पालिका/नगर परिषद की होगी।

27/01/26

संभागीय कार्यपालन यंत्री
नगरीय प्रशासन एवं विकास
जबलपुर संभाग जबलपुर

TS/P/R

OFFICE OF MUNICIPAL COUNCIL PANDHURNA ,DISTRICT- PANDHURNA (M.P.)

NAME OF WORK :- B.T. RECOATING IN C.C. ROAD

LOCATION:- 1) FROM AMRAWATI ROAD TO GUDDHE HOUSE VIA LANDE HOUSE TO PABLE HOUSE, 2) FROM DR. JAIN TO VIJAY AAKHRE HOUSE 3) FROMM ANIL KALDA TO NAGPAL HOUSE 4) FROM AMRAWATI ROAD TO PRABHAKAR GHODE AT GURUNANAK WARD, PANDHURNA

S. No.	S.O.R. L/P.No.	Discription	No.	Measurement L	Measurement B	Measurement H	Quantity	Rate	Unit	Amount
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	10.2.2 /92	Filling Pot- holes and Patch Repairs with Bituminous concrete, 40mm: Removal of all failed material, trimming of completed excavation to provide firm vertical faces, cleaning of surface, painting of tack coat on the sides and base of excavation as per Section 503, back filling the pot holes with hot bituminous material as per Section 504 of the specifications. Compacting, trimming and finishing the surface to form a smooth continuous surface, all as per Section 3004 of the specifications **For grading II Material.**					218.25			91228.50
			30% OF EXISTING ROAD AREA				654.75	418.00	Sqm	273685.50
2	5.2.3 /48	Providing and applying Tack Coat with cationic bitumen emulsion (RS-1) using emulsion pressure distributor on the prepared bituminous/granular surface cleaned with mechanical broom and as per Section 503 of the specifications. @ 0.35 **Kg per Sqm (Non-bituminous surfaces) Cement** Concrete pavement.								
			1	485.00	4.50		2182.50	18.00	Sqm	39285.00

Scanned with CamScanner

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
3	5.12.4/51	Providing and laying Bituminous Concrete with hot mix plant using crushed aggregates of specified grading, premixed with bituminous binder of mix and filler, transporting the hot mix to work site, laying with mechanical paver finisher to the required grade, level and alignment, rolling with smooth wheeled, vibratory and tandem rollers to achieve the desired compaction in all respects and as per Section 507 of the specifications. **For Grading II (30-45 mm thickness) with VG-30 bitumen @ 5.4%**								
			1	485.00	4.50	0.04	87.30	9102.00	Cum.	794604.60
		Total Rs. :-					925118.10			1107575.10
		Add 18% G.S.T. :-					166521.25			199363.52
		Grand Total :-				Rs	10,91,639=35			1306938.62

TECHNICAL SANCTION AS PER CONDITION, VIDE
Letter No. .... Date .... For Construction
Of ....
At word Rs 1091,639.00 Granted for Rs........
In Words........
27/02/26.
Checked By
Divisional Executive Engineer
Urban Administration &
Development, Jabalpur Division
S.E.

Sub Engineer
Municipal Council Pandhurna
Dist.- Pandhurna (M. P.)

Assistant Engineer
Municipal Council Pandhurna
Dist.- Pandhurna (M. P.)

Chief Municipal Officer
Municipal Council Pandhurna
Dist.- Pandhurna (M. P.)

Scanned with CamScanner

SECTION OF B.T. RENEWAL

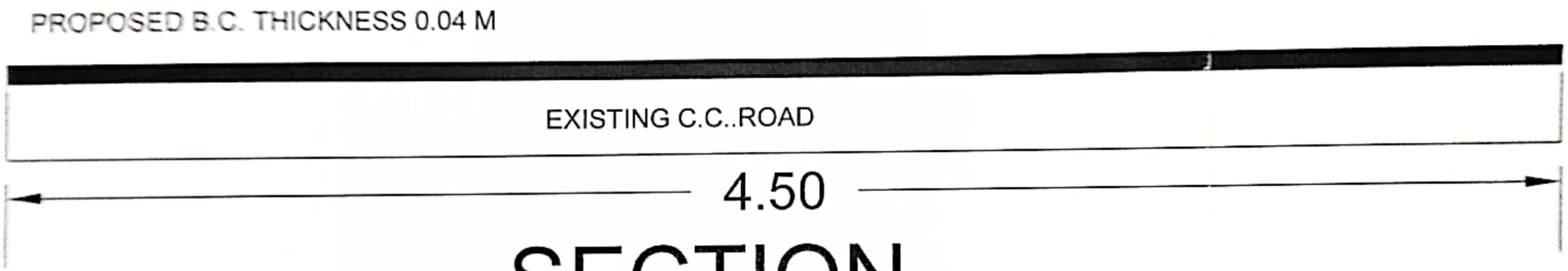

SECTION

Sub Engineer	Assistant Engineer	Chief Municipal Officer
Municipal Council Pandhurna	Municipal Council Pandhurna	Municipal Council Pandhurna
Dist.- Pandhurna (M. P.)	Dist.- Pandhurna (M. P.)	Dist.- Pandhurna (M. P.)

Scanned with CamScanner